भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *420

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में जल शक्ति केंद्र

***420. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के कितने जिलों में जल शक्ति केंद्र हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक जिले में एक ऐसे जल शक्ति केंद्र की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी तथा आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में सभी जल निकायों की कोई जियो-टैगिंग अथवा इन्वेन्टरी आंरभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) इस जियों-टैगिंग के आधार पर राज्य के लिए जल संरक्षण हेतु वैज्ञानिक योजनाएं बनाए जाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ङ) आंध्र प्रदेश के नौ चिन्हित जिलों में जल शक्ति अभियान संबंधी वर्तमान में चल रही परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"आंध्र प्रदेश में जल शक्ति केंद्र" के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *420 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र हैं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ): जल राज्य विषय होने के कारण है, परियोजनाओं का आयोजन, वित्तपोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार समेत राज्य सरकारों से सभी मौजूदा जल निकायों/जल संचयन संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) की पुराने राजस्व रिकॉर्ड और राष्ट्रीय रीमोट सेंसिंग एजेंसी एवं जीआईएस मानचित्रण तकनीक से मिले रिमोट सेंसिंग चित्रों का प्रयोग कर और उस डाटा के उपयोग से वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई जल संरक्षण योजनाओं की गणना करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन ने जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजनाओं को और जिलों के जल निकायों की सूची को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार कर अपने सभी जिलों मे कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित कर दिया है।

*****